यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नि खल गोस्वा म, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 12.12.2017 से 20.12.2017 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री प्रथम लेखापरीक्षा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक - से - तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	1421.15
2015-16	1821.17
2016-17	2052.46

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....शून्य.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्ययः -

राजस्वः -

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 ख

प्रस्तर 1 कर का अनारोपण 96.39 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत कसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर कये गये प्रत्येक वक्रय पर इस अ धनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरो पत कया जायेगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर कर निर्धारण वा णज्य कर -2 वकासनगर के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क सर्वश्री आहूजा बिल्डर्स टिन 05005082243 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में कोई भी माल आयात नहीं कया गया था तथा वर्ष 2011-12 447576 का आयात कया गया था। वभाग द्वारा व्यापारी को वर्ष 2011-12,2012-13 में 200 फार्म सी दिये गये थे वर्ष 2012-13 में 114 फार्म सी अवशेष पाये गये थे। व्यापारी की गोपनीय पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया क व्यापारी को दिनांक 05.03.2004 को पंजीकृत कया गया था। व्यापारी द्वारा वर्ष 2004-15 से 2012-13 तक 71402104 की मशीनरी आयातित की गयी थी, जिसमें वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11में खरीदी गयी मशीनरी शा मल नहीं है। व्यापारी की पत्रावली में उक्त मशीनरी की स्टाक में बने रहने की पुष्टी न होने के कारण इसकी बिक्री मानते हुये 13.5 प्रतिशत की दर से 9639284.0 कर आऱोपणीय था जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया। इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।र

वभाग के संज्ञान में लाये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में वर्ष 2007-08 2009-10 व 2010-11 के कर निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है तथा मशीनरी के स्टाक में बने रहने के संबंध में बताया गया क सं वदाकार जिनके द्वारा समाधान योजना का वकल्प लया जाता है उनके लये पुस्तकें वैट आ डट रिपोर्ट इत्यादि अ भलेक जो क एक सामान्य व्यापारी के लये आवश्यक है, रखने की बाध्याता नहीं है। व्यापारी द्वारा कसी वर्ष वशेष में कुल आयातित माल का प्रयोग अपनी सं वदाओं के निष्पादन में कया जाता है। सं वदाकार द्वारा प्रान्त बाहर से मशीनरी आदि का आयात सं वदा में प्रयोग हेतु कया जा सकता है तथा उक्त मशीनरी की बिक्री होने की दशा में उसमें कर आरोपण कया जाता है उक्त का ववरण सम्ब धत वर्ष के कर निर्धारण आदेश में ही रहता है उक्त की पुष्टी के लये बैलेन्स सीट की आवश्यकता नहीं होती है तदुपरान्त बैलेन्स सीट व्यापारी से उपलब्ध होने की दशा में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क बैलेन्स सीट उपलब्ध होने पर ही मशीनरी का स्टाक में बने रहने की पुष्टी हो सकती है इस लये बैलेन्स सीट पत्रावली में होना अ थ आवश्यक है।

अतः 9639284.00 राजस्व क्षति का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ख)

प्रस्तर 02 अर्थदण्ड का अनारोपण 2.90 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 58(i) (vii) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यापारी अपना स्वीकृत कर बिना कसी युक्ति-युक्त कारण के वलम्ब से जमा करता है तो स्वीकृत कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.) खण्ड-2 वा णज्य कर वकास नगर के अ भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया क संलग्न सूची के तीन व्यापारियों के द्वारा अथवा स्वीकृत कर कुल 28,97958 बिना कसी युक्ति-युक्त कारण के वलम्ब से जमा कया गया था जिस पर नियमानुसार क्रय से कम 10 प्रतिशत की दर से 2797958 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क व्यापारी का पत्र प्राप्त करते हुए यदि वलम्ब का उ चत कारण नहीं पाया जायेगा तो व ध अनुसार अर्थदण्ड की कार्यावाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया गया।

क.नि. वर्ष	माह	जमा करने की निर्धारित ति थ	जमा करने की वास्त वक ति थ	वलम्ब दिनो की सं.	कर	अर्थदण्ड (10%)
2013-14	अप्रैल 2013	25.05.2013	25.05.2013	2	20,700	2070
	मई 2013	25.06.2013	01.07.2013	6	24,100	2410
	अगस्त 2013	25.09.2013	28.09.2013	3	22,225	2222.5
	अक्टूबर 2013	25.11.2013	30.11.2013	5	45,000	4500
	फरवरी 2014	25.03.2014	30.04.2014	9	15,000	1500
	मार्च 2014	25.04.2014	29.04.2014	4	31,500	3150
2013-14	जून 2013	25.07.2013	26.07.2013	1	87,800	8780
	जुलाई 2013	25.08.2013	29.08.2013	4	45,509	4550.9
	अगस्त 2013	25.09.2013	28.09.2013	3	8460	846
	दिसम्बर 2013	25.01.2014	28.01.2014	3	84,684	8468.4
2011-12	अप्रैल 2011	25.05.2011	24.06.2011	30	3,64,761	36476.1
	मई 2011	25.06.2011	28.06.2011	3	2,46,199	24619.9
	जून 2011	25.07.2011	03.08.2011	9	1,15,952	11595.2
	जुलाई 2011	25.08.2011	29.08.2011	4	3,67,631	36763.1
	अगस्त 2011	25.09.2011	27.09.2011	2	4,79,133	47913.3
	दिसम्बर 2011	25.01.2012	27.01.2012	2	3,45,869	34586.9
	फरवरी 2011	25.03.2012	27.03.2012	2	1,93,106	19310.6
	मार्च 2011	25.04.2012	28.04.2012	3	4,88,129	48812.9
					कुल	289795.8

भाग-2(ख)

प्रस्तर-3 कर का न्यूनारोपण 7,360/-

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 4(2) के अनुसूची III में विनिर्दिष्ट विशेष माल के क्रम सं.-10 के प्रावधानो के अनुसार बीडी पर 8% की दर से कर आरोपणीय होगा।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-2 वाणिज्य कर विकास नगर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, क.नि. वर्ष 2012-13 में Form-16 का प्रयोग कर 2,45,325 का बीड़ी प्रान्त बाहर सो आयात किया गया था। व्यापारी द्वारा बीडी वस्तु के साथ बिक्री कर दिया गया था। जबकि बीडी पर नियमानुसार 8% की दर से कर आरोपित होना चाहिए था।

इस प्रकार व्यापारी की गयी बीड़ी के बिक्री में लाभ न भी जोड़ा जाय तो कम से कम 2,45,325 पर अन्तरिय दर 3% की दर से 7,360/- अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। तथा जमा करने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	प्रमोद कुमार जोशी	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी कमीश्नर (क.नि.)-द्वीतीय वा णज्य कर, वकासनगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र